न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज(जू०डि०), घाटमपुर, कानपुर देहात

परिवाद सं० 603/2024

UPRN180014562024

सुलोचना बनाम टिन्कू आदि

थाना साढ़,जनपद कानपुर नगर

दिनांक – 28/04/2026

पुकार करायी गयी। पुकार पर परिवादिनी के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आए।

परिवादिनी ने परिवाद पत्र के संक्षिप्त कथन इस प्रकार है कि प्रार्थिनी का विवाह दिनांक 11/05/2019 को हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार टिन्कू उर्फ जगजीवनराम पुत्र दयाराम निवासी ग्राम जरसरा अरंजहामी थाना साढ़ जनपद कानपुर नगर में हुआ था। शादी में प्रार्थिनी के पिता ने अपने हैसियत के अनुसार 5100/– रु० नगद तिलक में दिया था एवं कपड़ा अन्य सामान लगभग 10,000/– रु० खर्च किया था। शादी में दान स्वरूप 11,000/– रु० कनद व एक सोने की अंगूठी कीमत 15,000/– रु० अलमारी, बक्सा, बेड व अन्य सामान दिया था। प्रार्थिनी जब विदा होकर ससुराल गयी । उसी समय पति द्वारा कम दहेज लाने का ताना देने लगा। जब प्रार्थिनी ससुराल से वापस आने के बाद जब दुबारा ससुराल गयी तो पति टिन्कू, सास जानकी देवी, ससुर दयाराम, देवर सन्तोष कुमार, नीरज, विवेक, देवरानी निशा, एक राय होकर प्रार्थिनी से कम दहेज लाने का ताना देते हुए एक मोटर साइकिल तथा सोने की जंजीर एवं एक लाख रुपये नकद की अतिरिक्त मांग करे लगे। प्रार्थिनी के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट करने लगे। प्रार्थिनी ने ससुरालीजनों द्वारा अतिरिक्त दहेज की मांग करने की बात अपने पिता को बताया, जिस पर पिता द्वारा अपनी मालीय हालत ठीक न होने के कारण देने से मना करने पर ससुरालीजन ने प्रार्थिनी के साथ आये दिन मारपीट व प्रताड़ित करने लगे। लगभग 2 वर्ष पूर्व ससुरालीजन ने प्रार्थिनी के साथ मारपीट करके जेवरात उतरवाकर मात्र एक साड़ी पहनाकर प्रार्थिनी का पति प्रार्थिनी के गांव के बाहर छोड़कर चला गया था। प्रार्थिनी द्वारा कुछ समय अपने माता पिता के यहां रहने के बाद ससुरालीजन एवं संभ्रान्त व्यक्तियों के समझाने पर प्रार्थिनी व पति के बीच दिनांक 31/05/2022 को लिखित समझौता कचहरी परिसर घाटमपुर में होने के बाद प्रार्थिनी ससुराल गयी, परन्तु ससुरालीजन के द्वारा प्रार्थिनी के साथ पूर्व की तरह दुर्व्यवहार व मारपीट करते हुए कमरे में बंद कर दिया था खाना आदि नहीं देते थे। प्रार्थिनी को दिनांक 26/05/2024 को थाना साढ़ की पुलिस द्वारा चौकी में बुलवाकर को मुक्त कराकार माता पिता के साथ भेजवा दिया गया था। दिनांक 30/05/2024 को समय लगभग 5 बजे शाम को उपरोक्त ससुरालीजन प्रार्थिनी के घर आ करके घर के अन्दर घुसकर अतिरिक्त दहेज की मांग करने लगे। प्रार्थिनी के द्वारा मना करने पर मां बहन की गालियां देते हुए मारपीट करने लगे तथा पुत्री व जेवर ले जाने लगे। शोर मचाने पर पड़ोसियों ने आकर प्रार्थिनी को बचाया जाते समय ससुरालीजन द्वारा ये धमकी दी गयी है कि अतिरिक्त दहेज लेकर आना न लाने पर जान से मार देंगे।

उक्त परिवाद पत्र पर परिवादिनी का बयान धारा 200 द०प्र०सं० अंकित किया गया है तथा धारा 202 द०प्र०सं० के अन्तर्गत पी०डब्लू० 1 राजदुलारी व पी०डब्लू० 2 लवकुश को परीक्षित किया गया है तथा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में उच्चाधिकारियों को प्रेषित पत्र की छायाप्रति व समझौतानामा प्रस्तुत किये गये हैं।

Digitally signed by DHARMENDER SINGH YADAV
Date: 2026.04.28 16:57:36 IST
Reason: Document Owner
Location: Civil Judge J.D. J.M. Ghatampur Kanpur Dehat

परिवादिनी सुलोचना ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 200 द०प्र०सं० में कथन किया है कि मेरा विवाह दिनांक 11/05/2019 को जगजीवन के साथ हुआ था। विवाह के एक साल के अन्दर ही मेरे ससुराल वाले सास, ससुर, पति, देवर ने गाली गलौज व मारपीट करने लगे। कारण कुछ नहीं था। ऐसे ही मारपीट करने लगे। फिर स्वयं कहा दहेज के कारण मारपीट करने लगे। समझौता भी हुआ लेकिन तीन माह बाद फिर से मारपीट करने लगे। गाड़ी व अंगूठी मांगते हैं। थाना साढ़ में प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। अगर वो मुझे अच्छे से रखेंगे तो मैं वापस जाना चाहती हूँ।

पी०डब्लू० 1 राजदुलारी ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 202 द०प्र०सं० में कथन किया है कि मेरी पुत्री सुलोचना की शादी दिनांक 11/05/2019 को टिन्कू उर्फ जगजीवनराम निवासी जरसरा थाना साढ़ जनपद कानपुर नगर के साथ हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार सम्पन्न हुई थी। प्रार्थिनी ने अपनी पुत्री की शादी में बक्सा, अलमारी, बेड आदि सामान व 75,000/– रु० खर्च किये। विदा होने के बाद मेरी पुत्री के ससुरालीजन टिंकू व दयाराम, जानकी देवी, सन्तोष, नीरज, विवेक व निशा कम दहेज का ताना मारते थे और मेरी पुत्री को मारते पीटते थे, जिसका एक समझौता भी हुआ, मगर कुछ माह बाद मारपीट कर मेरी पुत्री को घर से भगा दिया। दिनांक 30/05/2024 को उपरोक्त ससुरालीजन प्रार्थिनी के घर आये और अतिरिक्त दहेज में 1 मोटर साइकिल, एक सोने की चेन व एक लाख रुपये की मांग करने लगे। प्रार्थिनी व परिवार द्वारा असमर्थता जताने पर उपरोक्त ससुरालीजन ने प्रार्थिनी व उसके परिवार वालों के साथ लड़ाई झगड़ा करते हुए व जान माल की धमकी देते हुए चले गये।

पी०डब्लू० 2 लवकुश ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 202 द०प्र०सं० में कथन किया है कि सुलोचना की शादी दिनांक 11/05/2019 को हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार टिन्कू उर्फ जगजीवनराम पुत्र दयाराम निवासी ग्राम जरसरा थाना साढ़ कानपुर नगर के साथ हुआ था। सुलोचना के माता पिता ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार दानस्वरूप एक अंगूठी कीमत 15,000/– रु० अलमारी, बेड, एल०सी०डी० टी०वी० व घर गृहस्थी का सारा सामान दिया था। सुलोचना की शादी के बाद कुछ वर्षों तक ठीक ठाक रहा। फिर एक दिन पता चला कि सुलोचना के ससुराल वाले अतिरिक्त दहेज में एक मोटर साइकिल व एक सोने की जंजीर व एक लाख रुपये नगद मांग करते थे। दिनांक 30/05/2024 को समय लगभग 5 बजे के आसपास सुलोचना के घर के पास से मैं गुजर रहा था कि मैं उसी समय सुलोचना के ससुरालीजन जिनमें टिंकू, दयाराम, जानकी, संतोष, नीरज, विवेक व निशा आदि लोगों ने सुलोचना के घर में घुसकर गाली गलौज व दहेज की मांग कर रहे थे, यह मैंने देखा।

परिवादिनी के विद्वान अधिवक्ता को तलबी के बिन्दु पर सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित हुआ कि परिवादिनी ने अपने परिवाद पत्र में किये गये कथनों के समर्थन में बयान धारा 200 द०प्र०सं० में कथन किया है कि विवाह के एक साल के अन्दर ही मेरे ससुराल वाले सास, ससुर, पति, देवर ने गाली गलौज व मारपीट करने लगे। कारण कुछ नहीं था। ऐसे ही मारपीट करने लगे। फिर स्वयं कहा दहेज के कारण मारपीट करने लगे। समझौता भी हुआ लेकिन तीन माह बाद फिर से मारपीट करने लगे। गाड़ी व अंगूठी मांगते हैं। परिवादिनी के उक्त कथन का समर्थन धारा 202 द०प्र०सं० के अन्तर्गत प्रस्तुत साक्षियों ने भी किया है।

उपरोक्त समग्र तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रथम दृष्टया विपक्षीगण टिन्कू उर्फ जगजीवन राम, दयाराम व जानकी देवी को धारा 498 ए भा०द०सं० व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अपराध में विचारण हेतु तलब किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

विपक्षीगण टिन्कू उर्फ जगजीवनराम, दयाराम व जानकी देवी को धारा 498ए भा०द०सं० व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अपराध में विचारण हेतु दिनांक 29/05/2026 को जरिए समन तलब किया जाता है। परिवादिनी आवश्यक पैरवी अन्दर सप्ताह करे।

दिनांक – 28/04/2026

(धर्मेन्द्र सिंह यादव)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
घाटमपुर, कानपुर देहात
यू०पी० 3562